न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम (अलवर)

प्रकरण तारीखः– 26.2.18

प्रकरण संख्याः– 15/18

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

दिनांकः– 07/03/2018

निर्णय

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, कोटकासिम के द्वारा प्रस्तुत किया गया कि ग्राम रामनगर तहसील कोटकासिम की जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 के खाता सं0 82 मे रघुवीर पुत्र रामनारायण सा0 देह अलाटी गैरखातेदार दर्ज है। उक्त खाता नम्बर मे दर्ज आराजी रघुवीर पुत्र श्री रामनारायण सा0 देह को नामान्तरकरण सं0 2 से अलोटमेन्ट हुई है। जिसमे कृषक की जाति दर्ज नही है। इस प्रकरण की नायब तहसीलदार, हरसौली द्वारा हल्का पटवारी से जॉच करवाये जाने पर उक्त खातेदार की जाति कंजर बताई गई है।

प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के साथ संलग्न राजस्व रिकोर्ड एव नायब तहसीलदार, हरसौली की रिपोर्ट व तहसीलदार,कोटकासिम की अभिषंसा के आधार पर प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत दुरूस्त किये जाने योग्य पाया जाता है अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अनुसरण मे तहसीलदार,कोटकासिम को आदेश दिया जाता है कि वो जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 के खाता सं0 82 वाके ग्राम रामनगर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 मे कृषक की जाति कंजर दर्ज की जावे व शेष इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना, आर0ए0एस0)

उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम (अलवर)

प्रेषितिः– तहसीलदार, कोटकासिम को वास्ते पालनार्थ प्रेषित है।

(विश्वामित्र मीना, आर0ए0एस0)

उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner